

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2022/60077/AGR/AGRA/1786/CF0

दिनांक: 30-08-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MARYMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **206 RUPBAS ROAD FATEHPUR SIKRI MAUJA TEHRA RAWAT, RUPWAS ROAD, AGRA** तहसील - **KIRAWALI**, प्लॉट एरिया **5467 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1058.44** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	1	0	3.66 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **MARYMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **03-09-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JITENDRA SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वेधता तिथि **06-09-2022** से **05-09-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **MARYMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **MARYMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : यह प्रमाण पत्र भूतल हेतु मान्य है, यदि ऊपरी तलों का निर्माण किया जाता है तो मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सेटबैक के सम्बन्ध में शा सनादेश सं0-18/छ: -पु0-8-2022/905(34)2016 टी 0सी 0 गृह (पुलिस) अनुभाग- 8 लखनऊ दिनांक-07-1-2022 के अनुपालन में सत्ताप्राधिकारी संस्था से निर्धारण कराया जाना अपेक्षित है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(AKSHAY RANJAN SHARMA)

[B5059A971A0EC58A22283AE92E6283AD6E98E1CD]

06-09-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-09-2022
स्थान : AGRA